R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड VI ◆ अंक 5
नवम्बर 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना

रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ संपार्श्विकृत उधार लेने और ऋण देने के दायित्व (सीबीएलओ) संबंधी लेनदेन से उत्पन्न अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के देयताओं पर 21 नवंबर 2009 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना होगा। तदनुसार, आरक्षित नकदी निधि अनुपात के लिए गणना की गई निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में 6 नवंबर 2009 के नियत शुक्रवार को सीबीएलओ लेनदेनों से उत्पन्न देयताओं को शामिल किया जाएगा जो 21 नवंबर 2009 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना करने हेतु आधार बन जाता है। इसके बाद के पखवाड़े में सीआरआर बनाए रखने के लिए की गई निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की गणना में सीबीएलओ लेनदेन से उत्पन्न देयताओं को शामिल करना जारी रहेगा।

तदनुसार, 21 नवंबर 2009 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अंतर्गत निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के परिकलन में निम्नलिखित देयताओं को शामिल नहीं किया जाएगा -

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) से संबंधित स्पष्टीकरण के खण्ड (डी) के अंतर्गत भारत में बैंकिंग प्रणाली की देयताएं।

(ii) एशियाई समाशोधन यूनियन [एसीयू (अमरीकी डालर)] खाते में जमा शेष।

(iii) अपने अपतटीय बैंकिंग यूनिटों (ओबीयू) से संबंधित माँग और मीयादी देयताएं।

सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि

7 नवंबर 2009 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बढ़ाकर उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 25 प्रतिशत कर दिया गया।

विशेष मीयादी रिपो सुविधा हटाई गई

म्यूच्यूअल निधियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवासीय वित्त कंपनियों का निधियन करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए विशेष मीयादी रिपो सुविधा 27 अक्टूबर 2009 से हटा दी गई है।

इस सुविधा के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया देयताओं को परिपक्वता पर रोल-ओवर नहीं किया जाएगा।

विशेष पुनर्वित सुविधा हटाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(बी) के अंतर्गत दी गई विशेष पुनर्वित सुविधा (एसआरएफ) 27 अक्टूबर 2009 से हटा दी गई है। तदनुसार, बैंक इस सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से नए पुनर्वित प्राप्त नहीं कर सकते है। बैंकों को इस सुविधा के अंतर्गत यदि कोई बकाया है तो उसे प्रयोग करने के पहले दिन से 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उसका भुगतान करना होगा।

आपको यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत विशेष पुनर्वित सुविधा नवंबर 2008 में लागू की गई थी। इस सुविधा के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 90 दिनों की अधिकतम अवधि तक (जिसके दौरान पुनर्वित से आहरित और भुगतान किया जा सकता है) चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर पर 24 अक्टूबर 2008 को उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत के समतूल्य तक रिज़र्व बैंक से पुनर्वित उपलब्ध कराया गया था।

विषय सूची

नीति	पृष्ठ
छूट प्राप्त श्रेणियों के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना	1
सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि	1
विशेष मीयादी रिपो सुविधा हटाई गई	1
विशेष पुनर्वित सुविधा हटाई गई	1
निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा	2
मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण	2
मुद्रा प्रबंध के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति	2
म्युच्युअल निधि/बीमा उत्पादों का विपणन/संवितरण	2
बार-बार चेकों का नकारा जाना	2
नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाना	2
शाखा बैंकिंग	
निष्क्रिय खाते	2
सहकारी बैंकिंग	
सुरक्षा जमा लॉकर की चाबियाँ	2
फेमा	
मालदीव मौद्रिक प्राधिकार - ऐशिआई समाशोधन संघ	3
सूचना	
रिपोर्ट - विद्यमान शाखा प्राधिकरण नीति की समीक्षा	3
मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा	4

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा

निर्यात ऋण पुनर्वित्त (इसीआर) सुविधा की पात्रता सीमा को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत पर पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रु पया निर्यात ऋण को 50 प्रतिशत के स्तर से 27 अक्टूबर 2009 से 15 प्रतिशत तक घटाया गया है।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण

पिछले एक वर्ष के दौरान वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र को दिये गये ऋण में भारी वृद्धि और इस क्षेत्र में पुनर्रचित अग्रिमों की व्यापकता को देखते हुए सीआरई क्षेत्र को दिये गये ऐसे अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण अपेक्षा 0.40 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 1.00 प्रतिशत की जाए, जिन्हें 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उक्त परिवर्तन के बाद सभी संवर्गों की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा निम्नानुसार है :

मानक आस्ति का संवर्ग	प्रावधानीकरण की दर
कृषि और एसएमई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25%
वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र	1.00%
अन्य सभी ऋण और अग्रिम जिन्हें उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया है	0.40%

मुद्रा प्रबंध के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति

जनता को पर्याप्त मात्रा में असली और स्वच्छ नोट उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए मुद्रा तिजोरियाँ रखने वाले बैंकों को सूचित किया गया है कि मुद्रा प्रबंध की जिम्मेदारी महाप्रबंधक के स्तर से कम स्तर के अधिकारियों को न सौंपी जाए। उक्त अधिकारी रिज़र्व बैंक के लिए संपर्क का नोडल बिंदु होगा और रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा तिजोरियों के लिए दी गई जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी होगा। अन्य बैंकों को भी पर्याप्त रूप से वरिष्ठ अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे ऐसे नोडल अधिकारियों के नाम तथा उनके कार्यालय पते, संपर्क नंबर (लैण्ड लाईन तथा मोबाईल नंबर) इ-मेल पता आदि की जानकारी रिज़र्व बैंक को दें।

म्युच्युअल निधि/बीमा उत्पादों का विपणन/संवितरण

म्युच्युअल निधि/बीमा उत्पादों का विपणन/संदर्भ देने वाले बैंकों को अपने उत्पादों का विपणन/संदर्भ के लिए विभिन्न म्युच्युअल निधि/बीमा/अन्य वित्तीय कंपनियों से प्राप्त सभी कमीशनों/अन्य शुल्कों (किसी भी स्वरूप में) का ब्योरा अपने ग्राहकों को सूचित करना चाहिए।

आपको यह ज्ञात होगा कि बैंकों को अनुमति दी गई है कि (i) म्युच्युअल निधि यूनिटों के विपणन के लिए म्युच्युअल निधियों के साथ करार करें; (ii) बिना किसी जोखिम सहभागिता के बीमा एजेंसी कारोबार अथवा संदर्भ व्यवस्था करें; (iii) वित्तीय उत्पादों के लिए अपने ग्राहकों के गैर-जोखिम सहभागिता आधार पर केवल संदर्भ सेवाएं ही प्रदान करें; और (iv) अपने ग्राहकों को गैर-विवेकाधीन निवेश सलाह सेवाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही कुछ मामलों में, बैंकों को कतिपय शर्तों के अधीन अपने सहायकों के माध्यम से विवेकाधीन संविभाग प्रबंध सेवाएं प्रदान करने की अनुमति भी दी गई है।

बार-बार चेकों का नकारा जाना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि 1 करोड़ रु पए से कम मूल्य के चेकों के बार-बार नकारे जाने की घटनाओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उनके पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए। इस नीति में इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) अधिदेशों के बार-बार नकारे जाने से संबंधित मामलों में की जानेवाली कार्रवाई भी शामिल की जानी चाहिए।

नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाना

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे अपने काउण्टरों अथवा एटीएम के माध्यम से 100 रु पए और उससे अधिक के मूल्यवर्ग की बैंक नोटों को पुन: जारी करने से पहले उसका अधिप्रमाणन, असली होने तथा निर्गम योग्य होने की जाँच के लिए मशीनों के माध्यम से भेजें। साथ ही, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे ऐसी मशीनें -

(i) 1 करोड़ रु पए और उससे अधिक की राशि के औसत दैनिक नकदी प्राप्तियों वाली सभी शाखाओं में मार्च 2010 तक लगवा देनी चाहिए।

(ii) 50 लाख रु पए और 1 करोड़ रु पए के बीच के औसत दैनिक नकदी प्राप्तियों वाली सभी शाखाओं में मार्च 2011 तक लगवानी चाहिए।

ऐसे मशीनों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक/मानदण्डों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

शाखा बैंकिंग

निष्क्रिय खाते

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि ग्राहक के अधिदेश के अनुसार बचत बैंक खाते में जमा सावधि जमा खाते पर ब्याज को ग्राहक प्रेरित लेनदेन माना जाना चाहिए। इस प्रकार जब तक सावधि जमाराशि का ब्याज बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है तब तक उस खाते को सक्रिय माना जाए। बचत बैंक खाते को सावधि जमा खाते के ब्याज को जमा करने की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद ही ऐसे निष्क्रिय माना जा सकता है।

आपको यह ज्ञात होगा कि ग्राहक सेवा पर 1 जुलाई 2001 के अपने मास्टर परिपत्र में रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया था कि यदि किसी बचत तथा चालू खाते में दो वर्ष से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ हो तो उसे निष्क्रिय माना जाना चाहिए। इसके अलावा किसी खाते को निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकरण करने के प्रयोजन से ग्राहकों तथा तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर किए गए दोनों प्रकार अर्थात् नामे और जमा लेनदेन पर विचार किया जाना चाहिए।

सहकारी बैंकिंग

सुरक्षा जमा लॉकर की चाबियाँ

रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी)/राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को पुन: सूचित किया है कि वे अपने शाखाओं को अनुदेश जारी करें कि सभी सुरक्षा जमा लॉकर की चाबियों पर बैंक/शाखा की पहचान कूट लगाई जाए। पहले ही किराए पर दिए गए लॉकरों के मामलों में यह सुझाव है कि पहचान कूट तब लगाया जाए जब ग्राहक अपने लॉकरों को परिचालित करने के लिए शाखा में आते हैं। लॉकर चाबी पर पहचान कूट केवल लॉकर धारक की उपस्थिति में ही लगाया जाए। बैंकों को संबंधित शाखा द्वारा लॉकर चाबियों पर पहचान कूट लगाने के बारे में सभी लॉकर-किरायेदारों को टेलीफोन अथवा डाक द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। बैंकों को लॉकर केबिनेट विक्रेता कंपनी की सहायता से बैंक/शाखा पर मशीन लगाने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी करनी चाहिए। बैंकों की यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में लगाए जाने वाले नए लॉकरों की चाबियों पर पहचान कूट लगाए जाते हैं।

फेमा

मालदीव मौद्रिक प्राधिकार - ऐशिआई समाशोधन संघ

कोलंबो, श्रीलंका में 16 जून 2009 को आयोजित ऐशिआई समाशोधन संघ (एसीयू) के निदेशक मंडल की बैठक में मालदीव मौद्रिक प्रधिकार को ऐशिआई समाशोधन संघ के एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मालदीव मौद्रिक प्रधिकार ऐशिआई समाशोधन संघ परिचालनों को 1 जनवरी 2010 से शुरू करेगा। ऐशिआई समाशोधन संघ देशों के लिए यथालागू ऐशिआई समाशोधन संघ व्यवस्था के सभी प्रावधान मालदीव मौद्रिक प्राधिकार पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अन्य प्रकार से उन्हें विशिष्ट रूप से हटाया नहीं जाता है। इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऐशिआई समाशोधन संघ (एसीयू) [ज्ञापन एसीएम] के माध्यम से लेनदेन को श्रेणीबद्ध करने के लिए ज्ञापन प्रक्रिया में निहित प्रावधानों तथा दिनांक 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना 14/2000-आरबी में निहित विनियमों का पालन करें।

सूचना

रिपोर्ट - विद्यमान शाखा प्राधिकरण नीति की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 27 अक्टूबर 2009 को विद्यमान शाखा प्राधिकरण नीति की समीक्षा के लिए कार्यदल की रिपोर्ट जारी किया। इस कार्यदल का गठन वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुपालन में श्री पी.विजय भास्कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में किया गया था।

विचारार्थ विषय

इस कार्यदल को सौंपे गए विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

(i) रिपोर्टिंग के अधीन अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शाखाएं खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान करते हुए बैंकों को अपनी शाखाएं/अन्य कार्यालय खालने के लिए अधिकतम लचीलापन उपलब्ध कराना।

(ii) उन मानदण्डों की जाँच करना जिनके तहत अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शाखाएं खोलने की प्रस्तावित सामान्य अनुमति प्रदान की जा सके ताकि प्रतिस्पर्धी दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

(iii) वित्तीय समावेशन बढ़ाने की दृष्टि से बैंकों द्वारा अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों/ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई अधिकांश शाखाओं को अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों के अलावा महानगरीय/शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रदान किए जाने वाले प्राधिकरणों से सहबद्ध करने हेतु नीति निर्धारण तैयार करने सहित देश के अल्प बैंक सुविधा वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के शाखा नेटवर्क के प्रसार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय सुझाया जाना।

(iv) उपर्युक्त के संगत अन्य किसी मामले की जाँच करना।

अनुशंसाएं

इस कार्यदल की मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :

- वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शाखा प्राधिकरणों को प्रभावी सुविधा की आवश्यकता है।
- घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को देश के टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक की आबादी वाले केंद्रों) में रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति के बिना शाखाएं खोलने के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाए बशर्ते इसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दी जाती है।
- कार्यदल द्वारा यथा अनुशंसित सामान्य अनुमति प्रदान करने के बाद भी बैंक टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 की आबादी वाले केंद्रों) में शाखाएं खोलने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु रिज़र्व बैंक से संपर्क करना जारी रखेंगी। ऐसे आवेदनों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत की जाने वाली शाखाओं की संख्या अन्य बातों के साथ-साथ उन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगी जिसमें यह अपेक्षा होगी कि बैंक अपने वार्षिक शाखा विस्तार को ऐसे तरीके से आयोजित करें कि अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों और अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के वित्तीय सुविधा से वंचित जिलों में किसी वित्तीय वर्ष में खोली गई शाखाओं की कुल संख्या का कम-से-कम एक तिहाई हो। साथ ही, प्राधिकरण ग्रामीण शाखाओं में ऋण वृद्धि की दर, ग्रामीण क्षेत्रों में जमा लेखा की संख्या में वृद्धि और 25,000 रु पए से कम के लिए ऋण खातों में वृद्धि आदि जैसे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति बैंक द्वारा किए गए उपयों के महत्त्वपूर्ण आकलन पर भी आधारित होगा।
- जहाँ तक उत्तर-पूर्वी राज्यों का संबंध है इन राज्यों में वित्तीय सुविधा से वंचित दायरे को ध्यान में रखते हुए घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी केंद्रों में शाखाएं खोलने की सामान्य अनुमति दी जाए। पुन: यह सामान्य अनुमति अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों और अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के वित्तीय सुविधा से वंचित जिलों में किसी वित्तीय वर्ष में खोली गई कुल शाखाओं की संख्या का कम-से-कम एक तिहाई शाखाएं खोले जाने की अपेक्षा के अधीन होगा।
- शाखा प्राधिकरण का संपूर्ण अविनियमन वर्तमान में समुचित नहीं लगता है।
- आगे चलकर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए भौतिक रूप से पारंपरिक शाखा प्रतिदर्श तथा कार्यस्थल से दूर एटीएम/बिक्री स्थल टर्मिनल बिंदु, कारोबारी संवाददाता प्रतिदर्श आदि जैसे शाखा विहीन प्रतिदर्शों का एक समुचित संयोजन होगा। मूलत: इसे बैंकों पर यह निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि वे किसी खास क्षेत्र में उस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रतिदर्श को उपयुक्त समझेंगे।
- घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को शर्तों के अधीन अंशत: अपनी शाखाओं को महानगरीय/शहरी केंद्रों में स्थानांतरित करने की सामान्य अनुमति दी जाए।
- घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अपने विद्यमान सामान्य बैंकिंग शाखाओं को इस शर्त के अधीन विशिष्ट शाखाओं में बदलने के लिए सामान्य अनुमति दी जाए कि बैंक उस सामान्य बैंकिंग शाखा के विद्यमान ग्राहकों की सेवा करना जारी रखेंगे जिसे किसी विशिष्ट शाखा में परिवर्तीत किया जाना प्रस्तावित है।
- बैंकों को प्रदान की जाने वाली अनुशंसित सभी उदारीकरण/स्वतंत्रता के मामले में रियायतें/सामान्य अनुमति विनियामक सुविधा के अधीन होगी।
- विदेशी बैंकों के संबंध में शाखा प्राधिकरण नीति विदेशी बैंकों के लिए रू परेखा की समीक्षा तक अपरिवर्तीत बनी रहेगी।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा

डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अक्टूबर 2009 को प्रमुख बैंकों के प्रधानों के साथ एक बैठक में वर्ष 2009-10 के लिए रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की। मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है:

पूर्वानुमान

- वर्ष 2009-10 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए वृद्धि अनुमान वृद्धिशील आधार पर 6.0 प्रतिशत रखा गया है।
- थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मार्च 2010 के अंत तक वृद्धिशील आधार के साथ 6.5 प्रतिशत अनुमानित की गई है।
- वर्ष 2009-10 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम3) वृद्धि 17 प्रतिशत पर रखी गई है।

रुझान

उक्त समग्र मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2009-10 की शेष अवधि के लिए मौद्रिक नीति रु झान निम्नानुसार रहेगा:

- मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर सतर्क निगाह रखें तथा नीति समायोजन द्वारा प्रभावी ढँग से तत्परता पूर्वक मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए तैयार रहें।
- चलनिधि स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखना और उसका सक्रिय प्रबंधन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादक क्षेत्रों की ऋण माँग पर्याप्त रूप से पूरी करने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता भी बनाई रखी जाती है।
- मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ वृद्धि प्रक्रिया के सहायक रूप में मौद्रिक और ब्याज दर व्यवस्था बनाए रखना।

मौद्रिक उपाय

- रिपो दर 4.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।
- प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 3.25 प्रतिशत पर बनाए रखी गई।
- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को पुन: माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत किया गया है।
- निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा की सीमा को पात्र बकाया निर्यात ऋण के 50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा हटाई गई।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए विशेष मीयादी रिपो सुविधा (पारस्परिक निधियों (एमएफ), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा आवास वित्तीय कंपनियों (एचएफसी) को निधि सहायता देने) को बंद कर दिया गया है।
- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ किए जाने वाले संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) वाले लेनदेनों से उत्पन्न होनेवाली अनुसूचित बैंकों की देयताएं अब नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने के अधीन होंगी।

वित्तीय बाज़ार

- समुचित सुरक्षा मानकों के अधीन निवासी संस्थाओं हेतु कॉर्पोरेट बाण्ड के लिए साधारण काऊंटरों पर (ओटीसी) एकल नामवाले क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप (सीडीएस) शुरू करने का प्रस्ताव।
- प्रतिष्ठित शेयर बाज़ारों को वर्तमान रू पया-अमरीकी डॉलर सौदों के अतिरिक्त रुपया-यूरो, रुपया-पाउँड स्टर्लिंग, रुपया-जापानी येन के करेंसी जोड़ों में करेंसी भावी सौदों के प्रस्ताव की अनुमति दी।

विनियामक उपाय

- 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत वाणिज्य संपदा क्षेत्र को अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधानीकरण को 0.4 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत बढ़ा दिया गया।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के घरेलू गैर-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाया गया।
- बैंकों को चरणबद्ध रूप से अंतरण वित्त पोषण निवेशों के लिए पूँजी बढ़ाने की अनुमति दी गई।
- बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) तथा अस्थिर प्रावधानों के लिए विशिष्ट प्रावधानों वाली अपनी प्रावधानीकरण सुगमता को बढ़ाने के लिए सूचित किया गया ताकि अस्थिर प्रावधानों सहित उनका कुल प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात सितंबर 2010 तक 70 प्रतिशत हो जाए।
- सुदृढ़ क्षतिपूर्ति नीतियों के संबंध में निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करना।
- मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अपनी कुल आस्तियों के न्यूनतम 75 प्रतिशत धारिता वाली संस्थाओं को 'मूलभूत सुविधा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी' के रूप में परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की एक श्रेणी शुरू करना।
- मूलभूत सुविधा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों के निवेशों की जोखिम भारिता को बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (इसीएआइ) द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को दी गयी ऋण रेटिंग से जोड़ना।

वित्तीय समावेशन

- बैंकों को (i) कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के रूप में अतिरिक्त संस्थाओं की नियुक्ति तथा (ii) बीसी के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहकों से यथोचित सेवा प्रभार पारदर्शी रूप से वसूल करने की अनुमति देना।
- मार्च 2011 तक 2,000 से अधिक जनसंख्यावाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अग्रणी बैंकों को मार्च 2010 तक रूपरेखा तैयार करने के लिए कदम उठाने के संबंध में सूचित करना।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) शुरू करने में निहित मुद्दों की जांच के लिए कार्यकारी दल का गठन करना।

मुद्रा प्रबंधन

- बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में नोट सार्टिंग मशीन रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार चरणबद्ध रूप से स्थापित करने के लिए अनिवार्य करना।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।